

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4427]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940

No. 4427]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5639(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2116 (अ), दिनांक 15 जून, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 12° 34' और 12° 50' उत्तरी अक्षांश तथा 77° 31' और 77° 38' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है तथा 260.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक राज्य के दक्षिण-पूर्व हिस्से में स्थित है जिसकी सीमा दक्षिण में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के साथ तमिलनाडु राज्य में थाली, थाली विस्तार, ज्वालामुखी सुरक्षित वन के साथ दक्षिण पूर्वी कोने में लगती है इसके दक्षिण-पूर्वी सीमाओं के निकटस्थ वन्यजीवों के लिए लगभग - 1400 वर्ग किलोमीटर पर्यावास बनाया गया जो हाथियों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए सम्पूर्ण मुख्य का लघु पर्यावास है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती थाली आरक्षित वन "मैसूर हाथी आरक्षित" के उत्तरी भाग के सीमावर्ती बिंदु पर प्रवास बृहद स्तनधारी-एशियाई हाथियों का निवास है जो कि कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के निकटस्थ है। इस क्षेत्र में प्रचुर वनस्पतियों और जीवजंतुओं की विविधता है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की प्रजनन संख्या और तेंदुआ, जंगली कुत्ते, गौर, सांभर, चीतल, रीछ, तवांगु, औरियंटल वाइट रैम्पड गिद्ध, लॉंग बिल्ड गिद्ध, पिली बुलबुल, और अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों का भी संभरण है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र घाटियों में नदी तटीय और आर्द्र पर्णपाती पर्यावास के साथ शुष्क पर्णपाती और झाड़ी वनों से ढका हुआ है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों में मुख्य वानस्पतिक प्रजातियों में एनोगेइसियसलटिफोलिया, अकाकिया कैटेचु, अकाकिया लिउकोफोलिया, टेक्टोनाग्रांडिस, सैंटालम एलबम, शोरेयाटालुरा, अज़ादिराचटैडिका, टर्मिनिलियापनीकुलाटा, टर्मिनिलियाचेबुला, टर्मिनिलियाटोमेनटोसा, डलबेरगियालालटिफोलिया, लगेरस्ट्रोमियालामसियोलाटा, जिज़िफसजुजुबा, डेनड्रोक्लामसट्रीकटस और अन्य सम्मिलित हैं;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली वनस्पतियों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियां कागाली (अकाकिया कैटेचु), डिंडिगा (एनोगेइसस लैटिफोलिया), मुथुगा (बुटिया मोनोस्पर्मा), उरुगु (क्लोरोक्साइलॉन स्विटिएनिया), बिते (डल्बर्गिया लैटिफोलिया), कामरा (हार्डविकिबिनटा, होन्ने (प्टेरोकार्पस मर्सुपियस), श्रिगंधा (सैंटालम एलबम), सागडे (क्षेत्रेरा ओलोसा), मट्टी (टर्मिनिलिया पैनिकुलाटा), तारे (टर्मिनिलिया बेलेरिका), एले (राइटिया टिनक्टोरिया), जालारी (शोरिया रोक्सबर्गि), मावु (मंगीफेरा इंडिका), धुपा (बोसवेलिया सेरटि) आदि हैं।

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले स्तनधारियों और सरीसृपों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियां बाघ (पैंथेरा टिगरिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), भारतीय जंगली कुत्ता या ढोले (कुओनल पिनस), गोल्डन सियार (कैनिस ऑरियस), धारीदार लकड़बग्घा (हेयना हेयना), रीछ (मेलुसस अरसिनस), जंगली बिल्ली (फेलिस चॉस), रस्टी-स्पाँटेड कैट (प्रियोनैलुरुस रुबीगिनोसस), हनी बैजर (मेलिवोरा कैपेन्सिस), भारतीय साही (हाइस्ट्रिक्स इंडिका), भारतीय साल (मैनीस क्रैसिकाडाटा), छोटे भारतीय मुसंग (विवर्रिकुला इंडिका), सामान्य मुसंग (पैराडाक्सुरस हर्मैफ्रोडाइटस), रड्डी नेवला (हर्पेस्टेस स्मिथि), ग्रे नेवला (हर्पेस्टेस एडवाइसी), एशियाई हाथी (एलेफस मैक्सिमस), गौर (बॉसगॉरस), सांबर (रुसा यूनिकोलेर), चितल (एक्सिस एक्सिस), चौसींगा मृग (टेट्रासेरस क्राड्रिकॉर्निस), काला हिरण (एंटीलोप सर्विकाप्रा), जंगली सुअर (सुस्क्रोफा), भारतीय मुंतजैक (मुन्तिकस मुंतजैक), इंडियन स्पाँटेड शेवरोटैन (मोस्कोओला इंडिका), दक्षिणी मैदानी ग्रे लंगूर (सेमनोपिथेकस दुसुमियेरी), लघु पुच्छ वानर (मकाका रेडिएटा), ब्लैक नेपड खरगोश (लेपस निग्रिकोलिस), भारतीय विशाल उड़ान गिलहरी (पेटोरिस्टा फिलिपेंसिस), मद्रास ट्री श्रेव (अनाथाना इलीओटी), मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस), भारतीय माँनीटर छिपकली (वाराणस बेंगलेंसिस), भारतीय लोमड़ी (वुल्फस बेंगलेंसिस), भूरा नेवला (हर्पेस्टेस फुस्कस) आदि हैं।

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए पक्षियों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियां ओरिएंटल व्हाइट-बैकड गिद्ध (जिप्स बेंगलेंसिस), ग्रेटर स्पाँटेड ईगल (क्लंगा क्लंगा), लांग-बिल्ड गिद्ध (जिप्स इंडिकस), नीलगिरी लकड़ी कबूतर (कोलंबिया एलिफिंस्टोनी), पीला-श्रोटेड बुलबुल (पायकोनोटस एक्साथोलेमस), व्हाइट-बिल्लड ब्लू-फ्लाईकैचर (साइरोनिस पैल्लिपेस) आदि हैं।

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अरकावथी, सुर्वनामुखी, मुथयालामादवु होल, रायथामाला होल, हेब्बालाहल्ला होल और अंथरागंगे नदी के लिए महत्वपूर्ण जलसंभर क्षेत्र है जो कावेरी नदी से जुड़ता है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1.0 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न रूप से विस्तारित क्षेत्र को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके

पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 1.0 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 168.84 वर्ग किलोमीटर (संलग्न ग्रामों को छोड़कर) है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II** पर है।
- (4) संरक्षित क्षेत्र की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III (क)** और **(ख)** में दी गई है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची भू-निर्देशांकों के साथ मुख्य अवस्थान **उपाबंध IV (क)** और **(ख)** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी:

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग;
- (xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों व्यवस्था की जाएगी के सुधारक को जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में वन-रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है,।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जायेंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा। .

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निवर्हन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करके पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**– तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तथापि, घरेलू छोटी किराने की दुकानों आदि को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर अनुमति दी जानी चाहिए।
3.	नई प्रमुख थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की

		अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
12.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
13.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
18.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल बहिस्त्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
20.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि, स्थानीय पेयजल की आवश्यकताओं जैसे आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) इकाइयों की स्थापना के लिए केवल सतही जल या भूजल की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने

		के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
21.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
22.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	तत्काल प्रभाव से निषिद्ध है।
25.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
26.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
27.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
28.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु	अध्यक्ष
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	कर्नाटक सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बंगलौर शहरी जिला	सदस्य
(ix)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, रामनगर जिला	सदस्य
(x)	उप वन -संरक्षक, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंगलुरु	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय:-

(i) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(ii) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(iii) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(iv) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(v) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(vi) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(vii) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(viii) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/12/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध I

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा जी पी एस अवस्थान 12.844 उ, 77.584 पू के साथ बिन्दु से आरंभ होकर, पील्लागानाहल्ली ग्राम में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी प्रमुख सीमा से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीमा इसके बाद बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ 100 मीटर की दूरी बनाकर पूर्व की ओर मुड़कर पिलीगनाहल्ली, गोट्टीगेरे, बसवानपुर, होम्मादेवनाहल्ली और कालकेरे ग्रामों से होते हुए जाती है।
पूर्व	इसके बाद यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर वदेराहल्ली, गोल्लाहल्ली, बनेरघट्टा, बायराप्पनाहल्ली, मनतापा, बेगीहल्ली, बुक्कासंदरा, कल्लाबालु, महालिंगपुरा, रगिहल्ली, सिवानाहल्ली, कदुजक्कनाहल्ली, बग्गनादोद्दी, थाट्टेकेरे, इंदलावदी, इंदलावदीपुरा, चिक्का होसाहल्ली, तम्मानयाकनाहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है यह निर्देशांक उ 12° 40' 41.19" पू 77° 38' 32.24" के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय सीमा पर बिंदु को छूती है। इसके बाद रेखा अंतर्राज्यीय सीमा का साथ दक्षिण की ओर जाती है यह थेरुबीडी ग्राम सीमा के बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है यह गत्तीगुण्डा ग्राम पहुँचती है। इस बिंदु से

	रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गत्तीगुण्डा, बिज्जाहल्ली, कोलागोण्डनाहल्ली ग्रामों से होते हुए दक्षिण की ओर जाती है यह अंतर्राज्यीय सीमा पहुँचती है और इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जाकर यह गत्तीगुण्डा ग्राम पहुँचती है।
दक्षिण	ऊपर बिंदु से सीमा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गंगनाहल्ली, हुनसानाहल्ली, तट्टेकेरे, बालागोंदानाहल्ली और बन्नीमुकोदलु ग्रामों से होते हुए दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर जाती है यह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सामान्य बिंदु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व दिशा की ओर के साथ उसी दूरी के लिए सामान्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन जाती है यह गोद्दावीरनहोसाल्ली ग्राम पर निर्देशांक उ 12° 21' 41.19" पू 77° 32' 22.54" के साथ बिंदु को छूती है।
पश्चिम	ऊपर बिंदु से रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गोद्दावीरनहोसाल्ली और सलबान्नी ग्रामों से होते हुए उत्तर की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर अनेकादाबुरु ग्राम से होते हुए जाती है और इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर होसादुर्गा, बोम्मासंदरा, बिजाहल्ली, तीपीतुरा, हेरान्दयापनाहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर केन्गलानाट्टा गोल्लाहल्ली, केब्बरे, हंचागुली और कलासुरु ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके अतिरिक्त रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर दोद्दागुली ग्राम से होते हुए जाती है। इस बिंदु से रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर अरकेरे और दोदकबली ग्रामों से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर गरालापुरा ग्राम से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 1.0 किलोमीटर की समानान्तर दूरी बनाकर केब्बेलहल्ली, नारायनपुरा, बेकुप्पे, केरेलेल्लुसंद्रा, चकनाहल्ली, मवाथुर, बचोलहल्लीदोद्दी, मनियामबल, देवराहल्ली, लिंगानापुरा, भीमासंद्रा, दोद्दामारालावादी, यालाछोवादी, कथारीनाथा, कल्लानाकुप्पे, कलानागुण्डी, थाटेकेरे, बिलागानागुप्पे, गोदुरु, अत्तीगुप्पे, गुल्लाहात्ती कवल, जक्कासंद्रा, गोत्तीगेहल्ली, वहारापल्ल्या, तत्तुप्पे, तरालु, गुलाकामले से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ चरम बिंदु से 100 मीटर की समानान्तर दूरी बनाकर बुथानाहल्ली और बिलवाराद्दहल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है और आरंभिक बिंदु पहुँचती है।

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का दर्शाया गया मानचित्र



उपाबंध-III**सारणी क: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	12	49	23.89	77	36	15.51
2	12	50	5.46	77	35	46.69
3	12	50	35.74	77	35	16.7
4	12	50	4.5	77	34	42.28
5	12	48	45.28	77	33	59.54
6	12	48	25.89	77	33	27.85
7	12	47	48.33	77	32	28.48
8	12	42	58.93	77	31	14.96
9	12	40	50.4	77	33	40.22
10	12	39	54.15	77	34	45.77
11	12	37	16.5	77	34	43.62
12	12	36	10.56	77	34	52.09
13	12	35	37.23	77	33	23.79
14	12	33	41.39	77	30	19.88
15	12	31	44.44	77	28	34.66
16	12	26	38.85	77	28	26.84
17	12	27	14.43	77	29	37.61
18	12	29	13.07	77	31	31.25
19	12	29	7.62	77	32	39.79
20	12	27	32.67	77	34	13.82
21	12	26	37.5	77	34	14.36
22	12	24	15.34	77	34	8.85
23	12	21	29.27	77	32	22.54
24	12	20	43.95	77	33	28.93
25	12	22	59.62	77	35	16.53
26	12	22	28.28	77	36	54.84
27	12	25	14.26	77	35	9.66
28	12	27	32.14	77	37	27.54
29	12	30	27.39	77	36	10.5
30	12	32	54.7	77	35	1.02
31	12	40	41.19	77	38	52.24
32	12	43	26.12	77	36	24.5
33	12	47	45.25	77	35	41.87
34	12	49	31.4	77	35	0.45
35	12	49	51.62	77	35	25.18

सारणी ख: बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा पर प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	12	49	42.6	77	35	45.13
2	12	48	54.86	77	34	40.22
3	12	47	27.78	77	33	58.93
4	12	47	16.19	77	35	56.47
5	12	44	57.3	77	36	13.18
6	12	44	22.31	77	34	15.67
7	12	42	58.07	77	33	35.71
8	12	42	57.71	77	36	8.71
9	12	42	0.11	77	37	52.03
10	12	39	59.47	77	36	2.52
11	12	35	45.96	77	35	33.76
12	12	33	9.36	77	33	10.01
13	12	31	23.48	77	35	21.55
14	12	27	49.18	77	35	23.28
15	12	25	0.3	77	36	10.55
16	12	29	42.07	77	37	38.64
17	12	24	34.52	77	37	28.63
18	12	23	31.67	77	34	50.59
19	12	22	17.08	77	32	22.09
20	12	23	37.79	77	33	37.15
21	12	26	33.9	77	34	39.22
22	12	28	14.56	77	33	19.3
23	12	31	2.03	77	31	38.93
24	12	28	54.95	77	29	40.27
25	12	27	43.88	77	28	29.71
26	12	30	41.15	77	27	47.23
27	12	33	10.55	77	29	19.03
28	12	34	13.4	77	31	0.3
29	12	35	34.94	77	32	36.46
30	12	36	1.19	77	34	14.23
31	12	37	56.6	77	34	28.27
32	12	39	19.91	77	34	55.27
33	12	40	45.59	77	34	40.01
34	12	41	8.38	77	33	10.87
35	12	41	48.23	77	31	31.15
36	12	43	22.91	77	32	3.05

37	12	45	0.68	77	32	18.71
38	12	46	9.95	77	32	56.83
39	12	47	1.86	77	32	59.35
40	12	48	15.62	77	33	41.62
41	12	48	29.56	77	34	3.54
42	12	50	31.52	77	35	6.68

उपाबंध-IV

सारणी क: निम्नलिखित समीपवर्ती ग्रामों के बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई	तालुका	जिला	विस्तार (हेक्टे.)	अक्षांश (डिग्री, मिनट, सेकेण्ड)			देशांतर (डिग्री, मिनट, सेकेण्ड)		
1	पिलीगनाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	21.76	12	32	25.6	77	29	77
2	गोट्टीगेरे	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	17.52	12	50	26.3	77	34	77
3	बसवानपुर	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	32.17	12	50	32.2	77	35	77
4	होम्मादेवनाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	38.98	12	50	27.4	77	35	77
5	कालकेरे	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	87.51	12	50	11.2	77	35	77
6	वदेराहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	72.42	12	49	41.5	77	35	77
7	गोल्लाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	63.44	12	49	39.8	77	36	77
8	बनेरघट्टा	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	335.27	12	49	6.49	77	35	77
9	बायराप्पनाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	135.04	12	48	20	77	34	77
10	मनतापा	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	206.14	12	47	41.8	77	34	77
11	बेगीहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	97.19	12	47	24	77	35	77
12	बुक्कासंदरा	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	163.62	12	47	11.5	77	36	77
13	कल्लाबालु	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	58.4	12	46	23.6	77	36	77

14	महान्तालिंगापुर	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	416.23	12	45	44.1	77	36	77
15	रगिहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	432.07	12	44	35.7	77	36	77
16	सिवानाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	816.80	12	44	10.5	77	34	77
17	कदुजक्कनाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	22.29	12	43	2.08	77	34	77
18	बगनादोद्दी	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	302.92	12	43	36.4	77	36	77
19	थाट्टेकेरे	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	69.86	12	43	4.74	77	36	77
20	इंदलावदी	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	13.73	12	42	45	77	35	77
21	इंदलावदीपुरा	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	156.59	12	43	1.96	77	37	77
22	चिक्का होसाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	4.5	12	42	39.9	77	37	77
23	तम्मानयाकनाहल्ली	1.0 किमी	अनेकल	बैंगलोर शहरी	321.59	12	42	15	77	38	77
24	बिलवारादाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	145.97	12	41	27.8	77	38	77
25	बुथानाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर शहरी	163.66	12	49	20.7	77	34	77
26	गुलकामले	1.0 किमी	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	60.09	12	48	19.4	77	33	77
27	तरालु	1.0 किमी	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	208.48	12	47	53.5	77	32	77
28	तातगुप्पे	1.0 किमी	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	137.32	12	47	9.42	77	32	77
29	वदारा पालया	1.0 किमी	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर शहरी	387.81	12	45	51.62	77	32	77
30	गोत्तीगेहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	396.78	12	43	22.2	77	31	17.2
31	जक्कासंदरा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	130.04	12	41	59.5	77	31	10.5
32	गुल्लातीकवाल	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	218.64	12	42	36.9	77	31	41.2
33	अत्तीगुप्पे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	119.81	12	41	9	77	32	3.43
34	गोदुरु	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	172.36	12	40	54.6	77	32	49.7
35	बिलागानागुप्पे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	313.03	12	41	7.81	77	33	53
36	तत्तेकेरे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	236.38	12	40	29	77	34	39.6
37	कोलालागुनदी	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	317.84	12	39	29.5	77	34	44.8
38	कल्लानाकुप्पे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	344.6	12	38	2.37	77	34	23.3
39	कथारीनाथा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	453.16	12	37	45.4	77	35	19.4

40	यलाचवदी	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	734.81	12	35	59.8	77	34	38
41	दोहामनालवदी	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	153.56	12	35	50	77	32	20.2
42	भीमासंदरा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	175.5	12	35	31.9	77	33	4
43	लिंगनापुरा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	76.8	12	35	20.9	77	33	35
44	देवराहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	278.03	12	35	1.18	77	31	37.2
45	मनीयाम्बाल	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	212.91	12	34	10.8	77	30	43
46	बचोललहल्लीदोही	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	398.48	12	33	20.2	77	29	51.7
47	मवाथुर	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	32.87	12	33	4.1	77	28	44.7
48	चकनाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	325.72	12	31	53.1	77	28	45.5
49	केरेलालुसंदरा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	201.88	12	31	9.22	77	27	53.7
50	बेकुप्पे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	13.65	12	30	21.7	77	27	18
51	नरायानापुरा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	336.16	12	29	51.5	77	27	35.6
52	केब्वेहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	360.74	12	28	1.83	77	28	2.37
53	गरलापुरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	129.86	12	27	2.9	77	29	1.04
54	दोदकावल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	49.13	12	27	15.7	77	29	47.3
55	अरकेरे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	163.39	12	27	42.3	77	30	1.23
56	दोहागुली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	278.41	12	28	32.6	77	30	9.28
57	हलासुरु	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	153.71	12	29	2.53	77	30	50.8
58	हंचागुली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	284.82	12	29	38.3	77	31	35.3
59	केब्वरे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	187.52	12	30	32.6	77	31	35.7
60	केनगालनात्ता गोल्लाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	235.89	12	29	52.2	77	32	29.3
61	हेरान्दीअपानहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	100.32	12	28	54.1	77	32	39.7
62	तिप्पुरु	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	54.66	12	27	44.4	77	33	40.2
63	बिजहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	57.7	12	27	16.9	77	34	8.4
64	बोम्मासंदरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	150.47	12	26	14.7	77	34	6.15
65	होसादुरगा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	118.97	12	24	32.1	77	34	0.73
66	अनेकादाबुरु	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	92.4	12	23	44.7	77	33	20.8
67	सलबन्नी	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	106.56	12	23	0.21	77	33	38.8
68	गुदेवीरानाहोसाहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	102.13	12	22	13.1	77	32	34.1
69	बन्नीमुकोदलु	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	256.34	12	21	20.1	77	33	52.2
70	बलागोंदाना हल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	23.12	12	22	13.4	77	34	53.8
71	ट्टेकेरे	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	303.16	12	22	37.5	77	34	45
72	हुनसनाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	236.28	12	23	3.57	77	35	36.4
73	गंगोनाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	162.07	12	22	53.3	77	36	29.9
74	बिज्जाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	391.33	12	25	30.1	77	35	55.5
75	कोलागोन्दानाहल्ली	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	830.16	12	27	5.61	77	36	26.8
76	गट्टीगुन्दा	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	764.45	12	28	38.2	77	35	35.1
77	तेरुबीधि	1.0 किमी	कनकपुरा	रामानगरा	658.49	12	33	10.6	77	33	59.1
			कुल		16884.46						

सारणी ख : बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की बाहरी सीमा के अंतर्गत स्थित वन संलग्न ग्राम

क्र. सं.	ग्राम के नाम	विस्तार	तालुक	जिला
1	हक्कीपिक्की कॉलोनी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
2	गुल्लाट्टीदोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
3	कनानारे	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
4	शिवपुरा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
5	चुधाल्ली	संपूर्ण ग्राम	अनेकल	बैंगलोर शहरी
6	उक्काडा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
7	यातवनात्तादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
8	बेत्तागनादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
9	सुंदागट्टा	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
10	चिक्काबेत्ताहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
11	दोद्दाबेत्ताहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
12	बेत्ताहल्लीयारागादु	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
13	बरैयानादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
14	अज्जीमाडु	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
15	दुर्गानादोद्दी	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा
16	कलागौदाहल्ली	संपूर्ण ग्राम	कनकपुरा	रामानगरा

उपाबंध-V**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2018

S.O. 5639(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O 2116 (E), dated 15 June, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park lies between the 12° 34' and 12° 50' N latitudes and between 77° 31' and 77° 38' E longitudes and spread over an area of 260.51 square kilometres in the state of Karnataka ;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park, is situated in South-Eastern corner of Karnataka State and borders with Cauvery Wildlife Sanctuary in the South and with Thali, Thali extension, Javalagiri Reserved Forests in the Tamil Nadu State on its South-Eastern boundaries to form a contiguous Wildlife Habitat of nearly—1400 square kilometers with the pockets of intact prime habitat for Elephants and other Wildlife species;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park as a terminal point on the northern side of "Mysore Elephant Reserve" inhabitants the large Mammal-Asian Elephants that migrate from adjacent Thali Reserve Forest of Tamil Nadu State which are contiguous with Cauvery Wildlife Sanctuary. The area has high faunal and floral diversity;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park, has breeding population of Elephants and also supports Leopard, Wild dogs, Gaur, Sambar, Chital, Sloth bear, Slender Loris, Oriental White Rumped Vulture, Long-billed Vulture, Yellow Throated Bulbul and other important wildlife species;

AND WHEREAS, the areas of Bannerghatta National Park are covered by dry deciduous and scrub forests with riverine and moist deciduous habitat in the valleys. The main vegetative species in the areas of Bannerghatta National Park includes *Anogeissus latifolia*, *Acacia catechu*, *Acacia eucopholea*, *Tectonagrandis*, *Santalum album*, *Shorea alata*, *Azadirachta indica*, *Terminalia paniculata*, *Terminalia chebula*, *Terminalia tomentosa*, *Dalbergia latifolia*, *Lagerstromia lanceolata*, *Ziziphus jujuba*, *Dendrocalamus strictus* and others;

AND WHEREAS, RET species of flora found in Bannerghatta National Park are Kaggali (*Acacia catechu*), Dindiga (*Anogeissus latifolia*), Muthuga (*Butea monosperma*), Urugalu (*Chloroxylon swietenia*), Beete (*Dalbergia latifolia*), Kamara (*Hardiwikiabinata*), Honne (*Pterocarpus marsupium*), Shrigandha (*Santalum album*), Sagade (*Schleichera oleosa*), Matti (*Terminalia paniculata*), Tare (*Terminalia bellerica*), Aale (*Wrightia tinctoria*), Jalari (*Shorea roxburghii*), Maavu (*Mangifera indica*), Dhoopa (*Boswellia serrate*) etc.

AND WHEREAS, RET species of mammals & reptiles found in Bannerghatta National Park are Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Indian wild dog or dhole (*Cuon alpinus*), Golden jackal (*Canis aureus*), Striped hyena (*Hyaena hyaena*), Sloth bear (*Melursus ursinus*), Jungle cat (*Felis chaus*), Rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), Honey badger (*Mellivora capensis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), Small Indian civet (*Viverricula indica*), Common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), Ruddy managoose

(*Herpestes smithii*), Grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), Asian elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bosgaurus*), Sambar (*Rusa unicorn*), Chital (*Axis axis*), Four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), Blackbuck (*Antelope cervicapra*), Wild pig (*Sus scrofa*), Indian muntjac (*Muntiacus muntjak*), Indian spotted chevrotain (*Moschiola indica*), Southern plains grey langur (*Semnopithecus dussumieri*), Bonnet macaque (*Macaca radiata*), Black naped hare (*Lepus nigricollis*), Indian giant flying squirrel (*Petaurista philippensis*), Madras tree shrew (*Anathana ellioti*), Marsh crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), Brown Mongoose (*Herpestes fuscus*) etc.

AND WHEREAS, RET species of birds found in the Bannerghatta National Park are Oriental White-backed Vulture (*Gyps bengalensis*), Greater Spotted Eagle (*Clanga clanga*), Long-billed Vulture (*Gyps indicus*), Nilgiri Wood Pigeon (*Columba elphinstonii*), Yellow-throated Bulbul (*Pycnonotus xantholaemus*), White-bellied Blue-flycatcher (*Cyornis pallipes*) etc.

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park is an important watershed area for the river Arkavathi, Suvarnamukhi, Muthyalamadavu hole, Rayathmala hole, Hebbalahalla and Antharagange that joins the river Cauvery;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Bannerghatta National Park as Eco-sensitive Zone from Ecological and Environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 1.0 kilometer around the boundary of Bannerghatta National Park in the State of Karnataka as the Bannerghatta National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 100 meter to 1.0 kilometer around the Bannerghatta National Park. The area of the Eco-Sensitive Zone is 168.84 square kilometers (excluding enclosure villages).

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV (A) and (B)**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;

- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use. —

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** - The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04 th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted. However, household small kirani shops etc., should be permitted within 1 km from the boundary of the Protected Area.
3.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
8.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the Bannerghatta National Park or upto the extent Eco-sensitive Zone, whichever is nearer except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1 km from the boundary of the Bannerghatta National Park or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential and local commercial use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including homestays; and (v) Promotional activities listed in this Notification. (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per Zonal Master Plan.
10.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees on the forest or government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b) Felling of trees shall be regulated in

		accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
11.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
13.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot-air balloon, drones, helicopters, Microlites.	Regulated under applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluents shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted; however, sale of surface water or ground water should be allowed only for the drinking water needs of the local population like establishment of RO (Reverse Osmosis) units. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.

23.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
26.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
27.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
28.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
29.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
30.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be activity promoted.
31.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee .-

The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of final Notification comprising of the following, namely:-

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| (i) | Regional Commissioner, Bengaluru | Chairman; |
| (ii) | Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka | Member; |
| (iii) | Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | Member; |
| (iv) | Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka | Member; |
| (v) | The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru | Member; |
| (vi) | An expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka | Member; |
| (vii) | An expert in Biodiversity nominated by the State Government | Member; |
| (viii) | Deputy Commissioner or his representative, Bangalore Urban District | Member; |
| (ix) | Deputy Commissioner or his representative, Ramanagara District | Member; |
| (x) | The Deputy Conservator of Forests, Bannerghatta National Park, Bengaluru | Member Secretary. |

6. Terms of Reference. –

- (i) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (ii) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (iii) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited

activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (iv) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (v) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (vi) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (vii) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (viii) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/12/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The boundary of Eco-sensitive Zone of Bannerghatta National Park starts at a point with GPS location 12.844 N, 77.584 E located at distance of 100m from the northern most boundary of Bannerghatta National Park on Pillaganahalli Village. The boundary then moves eastwards maintaining a parallel distance of 100 mtrs along the boundary of Bannerghatta National Park through Pillganahalli, Gottigere, Basavanpura, Hommadevanahalli and Kalkere villages.
East	Then it runs southwards maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Vaderahalli, Gollahalli, Bannerghatta, Byrappanahalli, Mantapa, Begihalli, Bukkasandra, Kallabalu, Mahalingapura, Ragihalli, Sivanahalli, Kadujakkanahalli, Bagganadoddi, Thattekere, Indlavadi, Indlavadi pura, ChikkaHosahalli, Tammanayakanahalli villages till it reaches a point on the interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu with co-ordinates N 12 ^o 40` 41.19`` E 77 ^o 38` 32.24``. Then the line runs southwards along the interstate boundary till it reaches a point on the Therubeedi village boundary and further runs in southward direction

	<p>along the interstate boundary till it reaches the Gattigunda village. From this point the line runs southwards maintaining parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Gattigunda, Bijjahalli, Kolagondanahalli villages till it reaches the interstate boundary and further runs along the interstate boundary until it reaches the Gattigunda village.</p>
South	<p>From the above point the boundary starts runs southwards, eastwards maintaining a parallel distance of 1.0 kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Ganganahalli, Hunasanahalli, Tattkere, Balagondanahalli and Bannimukodlu villages till it reaches a common point on the Eco-sensitive Zone boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and Bannerghatta National Park and further runs on the common Eco-sensitive Zone for some distance along north-eastward direction till it reaches a point with co-ordinates N 12^o 21' 41.19" E 77^o 32' 22.54" on Guddeveranahosahalli village.</p>
West	<p>From the above pointline runs northwards maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Guddeveranahosahalli and Salbanni villages. Further, the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Anekadaburu village and then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Hosadurga, Bommasandra, Bijahalli, Tippuru and Herandyappanahallivillages. Then the line proceeds maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through KengalanattaGollahalli, Kebbre, Hanchaguli, and Kalasuru villages. Further, the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Doddaguli village. From this point the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Arkere and Dodkaballi villages. Then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Garalapura village. Then the line runs maintaining a parallel distance of 1.0 Kilometer from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary throughKebbehalli, Narayanapura, Bekuppe, Kerelalusandra, Chakanhalli, Mavathur, Bacholhallidoddi, Maniyambal, Devarahalli, Lingapurapur, Bhimasandra, Doddamaralavadi, Elachavadi, Katharinatha, Kallanakuppe, Kolalagundi, Tattkere, Bilaganaguppe, Goduru, Attiguppe, GullahattiKaval, Jakkasandra, Gottigehalli, Vaddarapalya, Tatguppe, Taralu, Gulakamale villages. Then the line runs maintaining a parallel distance of 100 meters from the extreme points along the Bannerghatta National Park boundary through Buthanahalli and Bilwaradahalli villages and reaches the starting point.</p>

ANNEXURE- II

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BANNERGHATTA NATIONAL PARK



ANNEXURE-III**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations on the Eco-sensitive Zone boundary**

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	12	49	23.89	77	36	15.51
2	12	50	5.46	77	35	46.69
3	12	50	35.74	77	35	16.7
4	12	50	4.5	77	34	42.28
5	12	48	45.28	77	33	59.54
6	12	48	25.89	77	33	27.85
7	12	47	48.33	77	32	28.48
8	12	42	58.93	77	31	14.96
9	12	40	50.4	77	33	40.22
10	12	39	54.15	77	34	45.77
11	12	37	16.5	77	34	43.62
12	12	36	10.56	77	34	52.09
13	12	35	37.23	77	33	23.79
14	12	33	41.39	77	30	19.88
15	12	31	44.44	77	28	34.66
16	12	26	38.85	77	28	26.84
17	12	27	14.43	77	29	37.61
18	12	29	13.07	77	31	31.25
19	12	29	7.62	77	32	39.79
20	12	27	32.67	77	34	13.82
21	12	26	37.5	77	34	14.36
22	12	24	15.34	77	34	8.85
23	12	21	29.27	77	32	22.54
24	12	20	43.95	77	33	28.93
25	12	22	59.62	77	35	16.53
26	12	22	28.28	77	36	54.84
27	12	25	14.26	77	35	9.66
28	12	27	32.14	77	37	27.54
29	12	30	27.39	77	36	10.5
30	12	32	54.7	77	35	1.02
31	12	40	41.19	77	38	52.24
32	12	43	26.12	77	36	24.5
33	12	47	45.25	77	35	41.87
34	12	49	31.4	77	35	0.45
35	12	49	51.62	77	35	25.18

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations on the Bannerghatta National Park Boundary

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	12	49	42.6	77	35	45.13
2	12	48	54.86	77	34	40.22
3	12	47	27.78	77	33	58.93
4	12	47	16.19	77	35	56.47
5	12	44	57.3	77	36	13.18
6	12	44	22.31	77	34	15.67
7	12	42	58.07	77	33	35.71
8	12	42	57.71	77	36	8.71
9	12	42	0.11	77	37	52.03
10	12	39	59.47	77	36	2.52
11	12	35	45.96	77	35	33.76
12	12	33	9.36	77	33	10.01
13	12	31	23.48	77	35	21.55
14	12	27	49.18	77	35	23.28
15	12	25	0.3	77	36	10.55
16	12	29	42.07	77	37	38.64
17	12	24	34.52	77	37	28.63
18	12	23	31.67	77	34	50.59
19	12	22	17.08	77	32	22.09
20	12	23	37.79	77	33	37.15
21	12	26	33.9	77	34	39.22
22	12	28	14.56	77	33	19.3
23	12	31	2.03	77	31	38.93
24	12	28	54.95	77	29	40.27
25	12	27	43.88	77	28	29.71
26	12	30	41.15	77	27	47.23
27	12	33	10.55	77	29	19.03
28	12	34	13.4	77	31	0.3
29	12	35	34.94	77	32	36.46
30	12	36	1.19	77	34	14.23
31	12	37	56.6	77	34	28.27
32	12	39	19.91	77	34	55.27
33	12	40	45.59	77	34	40.01
34	12	41	8.38	77	33	10.87

35	12	41	48.23	77	31	31.15
36	12	43	22.91	77	32	3.05
37	12	45	0.68	77	32	18.71
38	12	46	9.95	77	32	56.83
39	12	47	1.86	77	32	59.35
40	12	48	15.62	77	33	41.62
41	12	48	29.56	77	34	3.54
42	12	50	31.52	77	35	6.68

ANNEXURE-IV**TABLE A: Distance of Eco-sensitive zone from Boundary of Bannerghatta National Park to the following adjacent villages.**

Map id	Village name	ESZ width from Bannerghatta National Park Boundary	Taluk	District	Extent (Ha.)	Latitude (Degree, Minutes Seconds)			Longitude (Degree, Minutes Seconds)		
1	Piliganahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	21.76	12	32	25.6	77	29	77
2	Gottigere	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	17.52	12	50	26.3	77	34	77
3	Basavanpur	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	32.17	12	50	32.2	77	35	77
4	Hommadevanahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	38.98	12	50	27.4	77	35	77
5	Kalkere	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	87.51	12	50	11.2	77	35	77
6	Vaderahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	72.42	12	49	41.5	77	35	77
7	Gollahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	63.44	12	49	39.8	77	36	77
8	Bannerghatta	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	335.27	12	49	6.49	77	35	77
9	Bairappanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	135.04	12	48	20	77	34	77
10	Mantapa	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	206.14	12	47	41.8	77	34	77
11	Begihalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	97.19	12	47	24	77	35	77
12	Bukkasandra	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	163.62	12	47	11.5	77	36	77
13	Kallabalu	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	58.4	12	46	23.6	77	36	77
14	Mahantalingapur	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	416.23	12	45	44.1	77	36	77
15	Ragihalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	432.07	12	44	35.7	77	36	77
16	Shivanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	816.80	12	44	10.5	77	34	77

17	Kadujakkanahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	22.29	12	43	2.08	77	34	77
18	Bagganadoddi	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	302.92	12	43	36.4	77	36	77
19	Tattekere	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	69.86	12	43	4.74	77	36	77
20	Indlavadi	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	13.73	12	42	45	77	35	77
21	Indlavadiura	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	156.59	12	43	1.96	77	37	77
22	ChikkaHosahalli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	4.5	12	42	39.9	77	37	77
23	Tammanayakana halli	1.0 Km	Anekal	Bangalore Urban	321.59	12	42	15	77	38	77
24	Bilwaradahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	145.97	12	41	27.8	77	38	77
25	Buthanahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	163.66	12	49	20.7	77	34	77
26	Gulakamale	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	60.09	12	48	19.4	77	33	77
27	Taralu	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	208.48	12	47	53.5	77	32	77
28	Tatguppe	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	137.32	12	47	9.42	77	32	77
29	Vaddarapalya	1.0 Km	Bangalore south	Bangalore Urban	387.81	12	45	51.62	77	32	77
30	Gottigehalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	396.78	12	43	22.2	77	31	17.2
31	Jakkasandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	130.04	12	41	59.5	77	31	10.5
32	GullahattiKaval	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	218.64	12	42	36.9	77	31	41.2
33	Attiguppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	119.81	12	41	9	77	32	3.43
34	Goduru	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	172.36	12	40	54.6	77	32	49.7
35	Bilaganaguppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	313.03	12	41	7.81	77	33	53
36	Tattekere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	236.38	12	40	29	77	34	39.6
37	Kolalagundi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	317.84	12	39	29.5	77	34	44.8
38	Kallanakuppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	344.6	12	38	2.37	77	34	23.3
39	Katharinatha	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	453.16	12	37	45.4	77	35	19.4
40	Elachavadi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	734.81	12	35	59.8	77	34	38
41	Doddamaralavadi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	153.56	12	35	50	77	32	20.2
42	Bhimasandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	175.5	12	35	31.9	77	33	4
43	Linganapura	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	76.8	12	35	20.9	77	33	35
44	Devarahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	278.03	12	35	1.18	77	31	37.2
45	Maniyambal	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	212.91	12	34	10.8	77	30	43
46	Bacholhallidoddi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	398.48	12	33	20.2	77	29	51.7
47	Mavathur	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	32.87	12	33	4.1	77	28	44.7
48	Chakanhalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	325.72	12	31	53.1	77	28	45.5
49	Kerelalusandra	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	201.88	12	31	9.22	77	27	53.7
50	Bekuppe	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	13.65	12	30	21.7	77	27	18

51	Narayanapura	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	336.16	12	29	51.5	77	27	35.6
52	Kebbehalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	360.74	12	28	1.83	77	28	2.37
53	Garulapura	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	129.86	12	27	2.9	77	29	1.04
54	Dodkaballi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	49.13	12	27	15.7	77	29	47.3
55	Arkere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	163.39	12	27	42.3	77	30	1.23
56	Doddaguli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	278.41	12	28	32.6	77	30	9.28
57	Halasuru	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	153.71	12	29	2.53	77	30	50.8
58	Hanchaguli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	284.82	12	29	38.3	77	31	35.3
59	Kebbre	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	187.52	12	30	32.6	77	31	35.7
60	KengalanattaGollahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	235.89	12	29	52.2	77	32	29.3
61	Herandyapanhalli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	100.32	12	28	54.1	77	32	39.7
62	Tippuru	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	54.66	12	27	44.4	77	33	40.2
63	Bijhalli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	57.7	12	27	16.9	77	34	8.4
64	Bommasandra	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	150.47	12	26	14.7	77	34	6.15
65	Hosadurga	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	118.97	12	24	32.1	77	34	0.73
66	Anakadaburu	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	92.4	12	23	44.7	77	33	20.8
67	Salbanni	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	106.56	12	23	0.21	77	33	38.8
68	Guddeveeranahosahalli	100 mtr	Kanakapura	Ramanagara	102.13	12	22	13.1	77	32	34.1
69	Banimkodlu	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	256.34	12	21	20.1	77	33	52.2
70	Balagondanahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	23.12	12	22	13.4	77	34	53.8
71	Tattekere	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	303.16	12	22	37.5	77	34	45
72	Hunasanahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	236.28	12	23	3.57	77	35	36.4
73	Gangonahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	162.07	12	22	53.3	77	36	29.9
74	Bijjahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	391.33	12	25	30.1	77	35	55.5
75	Kolagaudahalli	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	830.16	12	27	5.61	77	36	26.8
76	Gattigunda	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	764.45	12	28	38.2	77	35	35.1
77	Therubeedi	1.0 Km	Kanakapura	Ramanagara	658.49	12	33	10.6	77	33	59.1
Total					16884.46						

TABLE B: Forest enclosure villages located within the outer boundary of Bannerghatta National Park

Sl. No.	Village name	Extent	Taluk	District
1	Hakkipikki Colony	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
2	Gullattidoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
3	Kananare	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
4	Shivapura	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
5	Chudhalli	Entire village	Anekal	Bangalore Urban
6	Ukkada	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
7	Yatavanattadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
8	Bettaganadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara

9	Sundagatta	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
10	Chikkabettahalli	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
11	Doddabettahalli	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
12	Bettahalliaragadu	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
13	Bariyanadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
14	Ajjimadu	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
15	Durganadoddi	Entire village	Kanakapura	Ramanagara
16	Kalagaudahalli.	Entire village	Kanakapura	Ramanagara

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.